जेपीडी–6/4419

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
कार्यालय मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व एवं नियंत्रण)

क्रमांकः जे.पी.डी./मु.ले.अ (रा.व नि.)/राज./पत्रा.550/प्रे. 2328 जयपुर, दिनांकः 15/02/2017

–: आदेश :–

विद्युत कम्पनियों द्वारा शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों में नगरीय उपकर की संग्रहित राशि एवं सार्वजनिक रोशनी के बिलों की बकाया राशि के निस्तारण के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2016 को आयोजित बैठक में विस्तार से चर्चा की गयी। इस बैठक में लिए गये निर्णयों के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 16874 दिनांक 03.01.2017 के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं (प्रति संलग्न)। इसी क्रम में जयपुर डिस्कॉम के संबंधित अधिकारियों की अनुपालना हेतु निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं –

1. विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा जारी सार्वजनिक रोशनी के बिलों की बकाया राशि का मिलान करने हेतु दोनों विभागों का संयुक्त दल निम्नानुसार गठित किया जाता है :–

   – सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण निगम।

   –संबंधित नगर निगम/ परिषद/ पालिका के आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी।

   अधीक्षण अभियंता उपर्युक्त संयुक्त दल की रिपोर्ट दिनांक 20.02.16 तक अपने मुख्य लेखाधिकारी (रा.व नि.) को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

2. सार्वजनिक रोशनी के विद्युत बिलों को सभी निकायों/ परिषदों / पालिकाओं को नियत समय पर ही विद्युत बिल देना सुनिश्चित किया जावे जिससे कि निर्धारित अवधि 7 दिवस में उसका सत्यापन हो सके।

3. संदर्भित बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्रों में बिना मीटर / बिना फेज वायर सार्वजनिक रोशनी का उपयोग नहीं किया जावेगा। अतः नगरीय निकाय से इस संबंध में आवेदन प्राप्त होते ही तुरंत प्रभाव से नये विद्युत कनेक्शन जारी करना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि उचित समय के भीतर संबंधित नगरीय निकायों से इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो बिना मीटर / बिना फेज वायर वाले सार्वजनिक रोशनी के विद्युत कनेक्शनों का संबंध विच्छेदित (disconnect) कर दिया जावे।

4. विद्युत वितरण कम्पनियों के विवादित बिलों के निपटान हेतु निम्नानुसार एक संवीक्षा समिति का गठन किया जाता है जिसकी अनुशंषा पर विद्युत वितरण कम्पनियों की सक्षम समझौता समिति द्वारा इन विवादित बिलों का नियमानुसार निपटारा किया जावेगा–

   – सम्बन्धित सहायक अभियंता ।
   – आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी, नगर निगम/ परिषद/ पालिका।

   अतः सभी संबंधित अधिकारीयों को निर्देश दिये जाते हैं कि उपर्युक्त आदेशों की कठोरतापूर्वक अनुपालना सुनिश्चित करें।

(ए. के. बोहरा)
प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1 मुख्य अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
2 मुख्य लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
3 अधीक्षण अभियन्ता ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,.....अपने अधीनस्थ सभी अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को प्रति भेजकर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।
4 निजी सहायक निदेशक (वित्त/तकनीकि), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर ।
5 वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी ( ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,..... ।

(के.सी गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी
(राजस्व एवं नियत्रंण)